

कार्यालय— स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी  
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना  
परती भूमि विकास विभाग,  
एल्डिको कॉर्पोरेट टॉवर, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ  
दूरभाष—0522-4005337, 4113437 ईमेल—sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक: 742 /एस.एल.डी.सी./ 2015-16

दिनांक 10 अक्टूबर, 2015

- 1—समस्त उप निदेशक,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
- 2—समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

**विषय :—आई0डब्लू0एम0पी0 आर्दश ग्राम के चयन एवं विकास के सम्बन्ध में।**

आप अवगत हैं कि प्रदेश में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) वर्ष 2009-10 से भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (संशोधित 2011) के अनुरूप संचालित है। क्रियान्वित परियोजनाओं के निरीक्षण में ये तथ्य प्रकाश में आये हैं कि परियोजनाओं के विभिन्न घटकों का निष्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिसका एक मुख्य कारण योजना के क्रियान्वयन में अधीनस्थ स्टाफ को पर्याप्त ज्ञान का अभाव भी है। ऐसी स्थिति में प्रायोगिक प्रदर्शन के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि बैच-1 से बैच-4 में स्वीकृत परियोजनाओं में से प्रति परियोजना एक आर्दश ग्राम का चयन निम्न मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाए :—

1. ऐसे ग्राम का चयन किया जाए जिसमें आई0डब्लू0एम0पी0 के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट कार्य कराये गये हों या गुणवत्तापरक कार्यों के निष्पादन की सम्भावना हो।
2. आर्दश ग्राम चयन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत ग्राम किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत चयनित या अंगीकृत न किया गया हो।
3. चयनित ग्राम में वाटरशेड कमेटी का कार्यालय पूर्व से यदि कार्यरत नहीं है तो उस ग्राम में वाटरशेड कमेटी के कार्यालय स्थापना की (नये या स्थानान्तरण से) सम्भावनाएं हों।

**उपर्युक्त मानकों के अनुरूप ग्राम के चयन का मुख्य उद्देश्य निम्नवत होगा :—**

1. आई0डब्लू0एम0पी0 अन्तर्गत चयनित ग्राम में उपलब्ध संसाधनों से भागीदारी पूर्ण सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण अपनाना।
2. चयनित आर्दश ग्राम को इस प्रकार विकसित करना कि यह गांव अपने आस-पास के ग्रामों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बने और इन चयनित ग्राम में किये गये प्रयासों को अन्य ग्रामों में दोहराना।
3. विभिन्न विभागों जैसे ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन विभाग, बागवानी, कृषि आदि में संचालित योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स कर मॉडल के रूप में विकसित करना।
4. सृजित परिस्पत्तियों एवम् रोजगार परक गतिविधियों के माध्यम/टिकाऊ आजीविका विकास करना।

अतः अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए परियोजनावार चयनित ग्राम की सूची दिनांक 20.10.2015 तक स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा प्रारम्भिक स्तर पर आई0डब्लू0एम0पी0 एवं अन्य विभाग से कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए चयनित ग्राम के विकास हेतु प्लान भी तैयार कर लें, जिसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ग्राम में दीर्घकालीन साकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

\_\_\_\_\_  
(आञ्जनेय कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक: /एस.एल.डी.सी./ 2015–16 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन/अध्यक्ष, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्लू0सी0डी0सी0 उ0प्र0 (जनपद—शामली, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोडकर)
4. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23—सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
6. संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
7. समस्त डब्लू0सी0डी0सी0, उ0प्र0 के टेक्निकल एक्सपर्ट।
8. गार्ड फाइल।

\_\_\_\_\_  
(आञ्जनेय कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी